रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2003/आश्विन 2, 1925
No. 462] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2003/ASVINA 2, 1925

IndiaCode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 761(अ).— केन्द्रीय सरकार, उर्जा संरक्षण अधिनयम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, उर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो की नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो महानिदेशक की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से उर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है ;

(ख) "महानिदेशक" महानिदेशक से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ब्यूरो का महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है, और

(घ) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. महानिदेशक की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार , धारा 9 की उपधारा (1) में अधिकथित अर्हता और अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को महानिदेशक के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) महानिदेशक के पद की अवधि, उस तारीख से, जिसको वह अपने पद पर प्रवेश करता है, अवधारित की जाएगी ।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी नियुक्ति उस तारीख तक जिसको वह अधिवर्षिता की आयु

प्राप्त करता है, प्रतिनियुक्ति पर की गई समझी जाएगी और अधिवर्षिता की तारीख के पश्चात जब तक वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है तब तक उसकी नियुक्ति अल्पकालिक संविदा के आधार पर की गई समझी जाएगी ।

(4) जहां किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी संगठन या किसी प्राइवेट कंपनी या सोसाइटी या संस्था के अधीन कार्यरत व्यक्ति को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी नियुक्ति अल्पकालिक संविदा पर की गई समझी जाएगी ।

4. वेतनमान और भत्ते- (1) महानिदेशक 22,400-525-24500 रू के वेतनमान में वेतन पाने का हकदार होगा:

परंतु जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता हैं वहां मूल सरकार से लिया जा रहा उसका वेतन संरक्षित किया जाएगा ।

(2) नियम 3 के उपनियम (4) के अधीन नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति की बाबत पेंशन और छुट्टी वेतन अभिदाय, ब्यूरो द्वारा उधार देने वाली सरकार को संदत्त किया जाएगा ।

(3) महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार के तत्स्थानी प्रास्थिति के किसी समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय दरों पर अपने वेतन के समुचित महंगाई भत्ता लेने का हकदार होगा ।

(4) महानिदेशक की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किए गए हैं जिसके अंतर्गत छुट्टी वेतन, छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, चिकित्सीय सुविधाओं की हकदारी भी हैं, ऐसी होंगी जो तत्स्थानी प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के किसी समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।

(5) महानिदेशक का पद त्याग और सेवा से हटाया जाना--(1) महानिदेशक , केन्द्रीय सरकार को कम से कम नब्बे दिन की अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सूचना देकर अपने पद को त्याग सकेगा ।

(2) महानिदेशक को , यदि वह नियम 6 में उल्लिखित किसी निरर्हता के अध्यधीन हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु महानिदेशक, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पद को पहले छोड़ देने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है , ऐसी सूचना प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति तक या नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता है या उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

6. हटाए जाने के लिए आधार --(1) केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे महानिदेशक को पद से हटा सकेगी जो--

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या किसी समय किया गया है ; या

(ख) विकृत चित्त का है या हो जाता है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार का घोषित किया जाता है ; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से महानिदेशक के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ; या

(घ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में , नैतिक अपराध अन्तर्वलित है ; या

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे महानिदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूलतः प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद में बने रहना लोकहित के लिए हानिकर है ।

(2) महानिदेशक नियम 5 के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन तब तक सेवा से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया है ।

7. स्टाफ कार के लिए हकदारी-महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार स्टाफ कार का उपयोग करने के लिए हकदार होगा ।

[फा. सं. 13/3/2001-ईएम]

शशि शेखर, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2003

G.S.R. 761(E).— In exercise of the powers conferred by section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules for regulating the appointment and other terms and conditions of service of the Director General of the Bureau of Energy Efficiency, namely . -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency Appointment and Terms and Conditions of Service of the Director-General Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);

(b) "Director General" means the Director-General of the Bureau appointed under Sub-section (1) of Section 9 of the Act;

(c) "Section" means a section of the Act, and

(d) all other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Appointment of Director General.-** (1) The Central Government shall appoint a person possessing the qualifications and experience laid down in sub-section (1) of section 9 as the Director General.

(2) The term of the office of Director General shall be determined from the date on which he enters upon his office.

(3) Where an officer of the Central Government or a State Government is appointed as the Director General, his appointment, till the date he attains the age of superannuation, shall be deemed to have been made on deputation and after the date of superannuation, till he attains the age of sixty year, his appointment shall be deemed to have been made on short term contract.

(4) Where a person working under a public sector undertaking or autonomous or statutory organization or from any private company or society or institution is appointed as the Director General, his appointment shall be deemed to have been made on short term contract.

4. Scale of pay and allowances.- (1) The Director-General shall be entitled to draw a salary in the pay scale of Rs.22400-525-24500.

Provided that where an officer of the Central or State Government is appointed as Director General his pay being drawn from the parent Government shall be protected.

IndiaCode

(2) The pension and the leave salary contribution in respect of a person appointed under sub-rule (4) of rule 3 shall be paid by the Bureau to the lending Government.

(3) The Director-General shall be entitled to dearness allowance appropriate to his pay at the rate admissible to a Group 'A' officer of the corresponding status in the Central Government.

(4) The other terms and conditions of the service of the Director-General for which the provisions have not been made in these rules, including entitlement of leave salary, leave travel concession, traveling allowance, medical facilities, shall be such as are admissible to a Group 'A' officer of the corresponding status in the Central Government.

5. Resignation and removal of Director General.- (1) The Director General may relinquish his office by giving in writing under his hand to the Central Government a notice of not less than ninety days.

(2) The Director General may be removed from his office by the Central Government if he is subject to any of the disqualifications mentioned in rule 6.

Provided that the Director General shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of ninety days from the date of receipt of such notice or within the said period of ninety days until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of term of office, whichever is the earliest.

6. Grounds for removal.- (1) The Central Government may remove from office the Director General who –

a) is, or at any time has been, adjudged as an insolvent; or

b) is, or becomes, of unsound mind or is so declared by a competent court; or

IndiaCode

c) has become physically or mentally incapable of acting as the Director General; or

d) has been convicted of any offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Director General; or

f) has so abused his position as to render his continuation in office detrimental to the public interest.

(2) The Director General shall not be removed from service under the provisions of sub-rule (2) of rule 5 unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

7. Entitlement for staff car.- The Director General shall be entitled to the use of staff car in accordance with the instructions issued from time to time by the Central Government.

[F. No. 13/3/2001-EM]
SHASHI SHEKHAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.